SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-03| March- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i3.14

मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

कलश चौहान[1] एवं डॉ सुशील कुमार[2]
[1]शोधार्थीनी, शिक्षा विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, यू0पी0, भारत
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, यू0पी0, भारत

सारांशः–

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थीनी द्वारा उद्देश्य रूप में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन विषय एवं लिंग के आधार पर करने का निश्चय किया गया। प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में न्यायदर्श हेतु मुरादाबाद जनपद के 100 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। शोधार्थीनी ने अध्ययन हेतु स्वःनिर्मित मापनी का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में मध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में आंशिक रूप से सार्थक अन्तर पाया गया है। जबकि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग की छात्राओं में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

मूल शब्दः– माध्यमिक स्तर, कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राऐं, यादृच्छिक विधि, स्वनिर्मित पैमाना, दृष्टिकोण, मूल अधिकार।

प्रस्तावनाः– जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपना सांसारिक जीवन संतोष, सुरक्षा और आनन्दपूर्वक बिताये। समाज और सरकार उसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करे और उसके लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें जिससे मनुष्य अपना जीवन स्वतंत्रता से और सुरक्षापूर्वक जी सकें। मानव को प्राप्त होने वाले यह अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार उन अधिकारों या स्थितियों को कहते हैं जो मानवोचित जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इससे तात्पर्य मनुष्य के अधिकारों से है। यह अधिकार मानव की प्रकृति में निहित हैं।

मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नहीं है। इसकी जड़ें अतीत की गहराईयों में छिपी हैं। वैदिक युग में भी मानवाधिकारों का अस्तित्व था। वैदिक काल में ही –

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुख भागवेत।।''

जैसी भावना वर्णित की गई है तथा शास्त्रों में ''अति सर्वत्र वर्ज्यते'' का उल्लेख है। दार्शनिक प्लेटो, रूसों, लास्की तथा अन्य दार्शनिकों ने अपने कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया है।

प्राचीन ग्रीक, प्राचीन भारत तथा रोमन गणराज्यों में नागरिकों के अधिकारों को मान्यता मिली थी।

विश्व इतिहास पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि मानवाधिकारों का विकास राज्य की शक्तियों के विरूद्ध सतत् संघर्ष का प्रतिफल है और इन्हीं संघर्षो की राह पर चलकर ही मानव अधिकारों की आधुनिक धारा प्रवाहित हुई। मानवाधिकारों के संरक्षण में 15 जून 1215 को ब्रिटेन में जारी मैग्नाकार्टा (महाधिकार पत्र), पिटीशन ऑफ राइट (1628), हैवियस कार्पस एक्ट 1979, विल ऑफ राइट्स (1789), न्यूयार्क अर्न्राष्ट्रीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की उद्घोषणा (1929) तथा संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक उद्घोषणा (1948) जारी हुई।

आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये हैं कि हर व्यक्ति इनके प्रति जागरूक है समाज के प्रतयेक व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है। समाज का विकास जैसे–जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, समाज के विकास के साथ–साथ मानवाधिकार हनन की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। मानवाधिकार हनन की बढ़ती घटनाओं के लिए मात्र पुलिस ही दोषी नहीं है जनता का समाज बराबर का दोषी है। निर्दोष व्यक्ति के पक्ष में आज सभ्य समाज भी खड़ा होने से कतराता है। डेनियल डेको का यह कथन है कि ''हर तरफ से समाज सभी लोगों की आवाज है कि अपराधी को सजा दी जाए लेनिक शायद ही किसी को चिन्ता हो कि निर्दोष को सजा न मिले'' अक्षरशः सत्य है। यही कारण है हनन काफी तेजी से बढ़ रहा हैं हम जितनी अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं मानवीय सम्बन्धों एवं आदर्शो की डोर उतनी ही नाजुक होती जा रही है। विकास की अंधी दौड़, वर्चस्व की होड़, अस्तित्व कायम करने की महत्वाकांक्षा ने हनन की भावना को गौण कर दिया है।

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है। जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होता है। अतः शिक्षा द्वारा ही समाज को मानवाधिकार के बारे में जागरूक किया जा सकता है।

मानवाधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सन् 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध तथा अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गये परमाणु बम से हुई हजारों हत्याओं के बाद, विश्व के सभी लोगों मे एक नई तथा शक्तिशाली सोच सामने आई। तथा 10 दिसम्बर 1948 को ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'' की स्थापना हुई इसी दिन मानवाधिकार आयोग की सार्वभौम घोषणा जारी की गई और इसे पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को दी गयी सार्वभौमिक घोषणा–पत्र (चार्टर) में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकरों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय को प्रतिवर्ष ''मानवाधिकार दिवस'' के रूप में मानाया जाता है।

हालांकि हमारे संविधान के भाग–3 और भाग–4 को दिये गये मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्य वर्णित है। इन मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में डॉ0 राधाकृष्ण ने कहा था कि ''ये हमारे अपने लोगों के प्रति वचनबद्धता और सभ्य संसार के प्रति मित्रता का द्योतक है। ये हमारे देश में संविधान द्वारा शुरू हुई जनतांत्रिक जीवन पद्धति की आधारशिला है।''

आवश्यकता एवं महत्वः– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपना वैयक्तिक विकास करता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि व्यकित को विकसित होने की सभी सुविधाएं जुटाएं और उसे विकास में सहयोग

© Shiksha Samvad| Received: 03 March-2026 | Accepted: 10 March- 2026 | Published: 15 March- 2026

दे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है इसलिए राज्य, विद्यालय तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दें। मनुष्य के विकास के लिए उचित वातावरण की स्थापना करना राज्य एवं समाज का ही कर्तव्य है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1945 में ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' की स्थापना हुई तथा इसी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण चार्टर तैयार किया गया जिसमें मानव के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई जिसमें मनुष्य को अनेक अधिकार प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के भाग–3 तथा भाग–4 में भी मानव को अनेक अधिकार प्राप्त हैं किन्तु अभी तक अधिकांश व्यक्ति इस अधिकारों को नहीं जानते और ना ही इनकी शिक्षा में कहीं व्यवस्था हैं जबकि ''मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा'' का केन्द्र बिन्दु स्वयं मानव है। मानव समाज के बीच समानता का सिद्धान्त सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के के प्रति जागरूक रहें। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मूल अधिकारों की व्याख्या तथा उनसे सम्बन्धित प्राविधानों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार से तात्पर्य नागरिकों के उन महत्वपूर्ण अधिकारों से है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होने के कारण जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना व्यवहार में लाये जाते है। मूल अधिकार प्रारम्भ में 7 थे। परन्तु 44 वे संविधान संशोधन द्वारा इसकी सख्या 6 कर दी गयी। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिये गये है। यह हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। विद्वानजन इसको लोकतन्त्र की आधारशिला भी कहते है।

व्यक्ति को समाज में सुख शान्तिपूर्वक तथा सम्मान से जीने के लिए एवं समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा मानव जाति के कल्याण हेतु मूल अधिकारों के प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए छात्रा–छात्राओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के पाठयक्रम में मानव अधिकारों को शिक्षा के रूप में शामिल कर नयी पीढी को मानव गरिमा का पाठ पढ़ाया जाना निवार्य है।

समस्य कथनः– ''मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन''

संक्रियात्मक परिभाषायेंः–

मूल अधिकारः– मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग–3 अनुच्छेद (14 से 32) में वर्णित बुनियादी मानवीय अधिकार हैं, जो नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है।

विद्यार्थीः– विद्यार्थी से तात्पर्य उस बालक या बालिका से है जो विद्यालय में शिक्षकों के सानिध्य में किसी विशेष विषय सम्बन्धित शिक्षा गृहण करते हैं।

अभिवृत्तिः– अभिवृत्ति मानव के दैनिक जीवन में व्यक्ति उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है। जिसके कारण वह किसी वस्तु परिस्थिति, संस्था, व्यवस्था या व्यक्ति के प्रति किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार व्यक्त करता है। अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है। इसका सम्बन्ध सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

1. मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

© Shiksha Samvad| Received: 03 March-2026 | Accepted: 10 March- 2026 | Published: 15 March- 2026

2. मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्राओं में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनायें:–

1. मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक नहीं पाया जाता।
2. मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्राओं में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक नहीं पाया जाता।

अध्ययन का सीमांकन:–

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल मुरादाबाद जनपद तक सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के केवल 100 छात्र एवं छात्राओं को न्यायादर्श के रूप में लिया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण:–

कौर (2012)– ने 21वीं शताब्दी में भारत में ''मानवाधिकारेां की प्रगति के स्तर'' का विश्लेषण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत में मानवाधिकारों के स्तर में आपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है।

सिंह, के. (2013)– ने ''स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'' किया एवं निष्कर्ष निकाला कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में विशेष जागरूकता नहीं है।

पाण्डेय, एस. (2014)– ने ''महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'' किया एवं निष्कर्ष निकाला कि महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान है।

अध्ययन की विधि :–

प्रस्तुत लघु शोध में शोधार्थीनी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या:–

प्रस्तुत अध्ययन में मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को सम्मलित किया गया है।

न्यादर्श:–

प्रस्तुत लघु शोध में शोधर्थीनी द्वारा मुरादाबाद जनपद के 100 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया है।

अध्ययन का उपकरण:–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

संख्यिकीय प्रविधियाँ:–

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में शोधार्थीनी द्वारा परिक्षण करने के लिए आँकणों का संग्रह किया गया तथा तत्पश्चात इसका मध्यमान, मानक विचलन, टी–अनुपात द्वारा मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच की गई।

आँकड़ों का विशलेषण एवं व्याख्या तालिका–01

© Shiksha Samvad| Received: 03 March-2026 | Accepted: 10 March- 2026 | Published: 15 March- 2026

छात्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
कला	25	5.12	2.27	3.23
विज्ञान	25	8.50	3.84	

नोट – 0.01 स्तर पर = 2.60, 0.05 स्तर पर = 1.97

व्याख्या:– तालिका संख्या 01 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या को दर्शाया गया है। शोध परिकल्पना का दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कला वर्ग में अध्ययन करने वाले छात्रों का मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः 5.12 एवं 2.27 पाया गया जबकि विज्ञान वर्ग के छात्रों का मध्यमान एवं मानक विचलन 8.50 एवं 3.84 प्राप्त हुआ है। दोनो समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात 3.23 प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्रान्तिक अनुपात सार्थकता के 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का आंशिक रूप से सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः हमारी परिकल्पना क्रमाक 01 अस्वीकार की जाती है।

तालिका–02

छात्रायें	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
कला वर्ग	25	5.12	2.27	0.061
विज्ञान वर्ग	25	5.06	2.32	

नोट – 0.01 स्तर पर = 2.60, 0.05 स्तर पर = 1.97

व्याख्या:– तालिका संख्या 02 में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्राओं में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या को दर्शाया गया है। शोध परिकल्पना का दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कला वर्ग में अध्ययन करने वाली छात्राओं का मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः 5.12 एवं 2.27 पाया गया जबकि विज्ञान वर्ग की छात्राओं का मध्यमान एवं मानक विचलन 5.06 एवं 2. 32 प्राप्त हुआ है। दोनो समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात 0.061 प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्रान्तिक अनुपात सार्थकता के 0. 01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थक है इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्राओं में मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में आंशिक रूप से सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः हमारी परिकल्पना क्रमाक 2 स्वीकार की जाती है।

शैक्षिक निहितार्थः–

1. शिक्षकों की नियुक्ति के समय अध्यापन अधिक्षमता को ध्यान में रखा जाये तो शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है।
2. इस अध्ययन का शैक्षिक नहत्य है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों के बारे मं जानकारी प्रदान की जा सकती है। तथा शिक्षा के हर स्तर पर मानवाधिकार को विषय के रूप में पाठयक्रम में सम्मलित करना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

सुझावः–

1. प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में अध्ययन क्षेत्र में मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को ही लिया गया है। भविष्य में अध्ययन की ओर विस्तृत रूप देकर सभी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्पादित किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत लघु शोध में मात्र 100 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चयन कर अध्ययन किया गया है। भविष्य में इसे और बड़े स्वादर्श पर सम्पादित कर प्रभावी व उचित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. प्रस्तुत लघु शोध एवं विश्वसनीय प्रबन्ध में अध्ययन केवल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों पर किया गया है। भविष्य में इसे शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों पर सम्पादित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. आर0एस0 पाण्डेय – भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2(2003)
2. रामशक्ल पाण्डे – उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा–2(2005)
3. एच0के0 कपिल – अनुसंधान विधियाँ, द्वितीय संस्करण वेदान्त पब्लिकेशन आगरा (2004)
4. एस0पी0 गुप्ता – आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (2010)
5. ईवांश – द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पर्सप्रेक्टिवः ए ग्लोबल एसेसमेंट, ब्लैकबेल लंदन (2001)
6. जोशी एण्ड अन्य – ह्यूमन राइट्स एण्ड ड्यूटीज, ए0बी0 पब्लिकेशन, अजमेर (2003)
7. सतेन्द्र वर्मा – बासंती भाग–2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, (2003)
8. शिवदत्त शर्मा – मानवाधिकार, प्रथम संस्करण विधि साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, (2006)
9. हेनरी ई0 गैरिट – मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी 2010
10. सुधा रानी व श्रीवास्तव – मानवाधिकार, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल (2000)
11. आईड एण्ड अन्य – ह्यूमन राइट्स इन पर्सप्रेक्टिव, प्लूटो प्रेस, लंदन (1992)।

Cite this Article:

कलश चैहान एवं डा सुशील कुमार,"मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन" *Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 03, pp.131-136, March-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/*

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

कलश चौहान एवं डॉ सुशील कुमार

For publication of research paper title

मुरादाबाद जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मूल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-03, Month March 2026, Impact Factor-RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i3.14